न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	कालू बनाम भूमिधारी तहसीलदार हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा0पत्र 131 CRACT मु.नं. - 75/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
30.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम पत्रावली दिनांक 18.10.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
18.10.2024	पत्रावली आज वास्ते/निर्णय आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की कार्यवाही हेतु तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
75/2022	2022/350	31.10.2022	18.10.2024

उनवान प्रकरण

1. कालू पुत्र पदमा उम्र 70 साल
2. रामकुंवार पुत्र नाथू उम्र 65 साल
3. श्यामसुन्दर पुत्र नाथू उम्र 60 साल

समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणी केरली की तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—— प्रार्थीगण——

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम उम्र 70 साल
3. जानकी लाल पुत्र बालूराम उम्र 75 साल
4. जितेन्द्र पुत्र रूपाराम उम्र 23 साल
5. रामलाल पुत्र बालूराम उम्र 73 साल

समस्त जाति यादव निवासीगण ढ़ाणी केरली की तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—— अप्रार्थीगण——

उपस्थित:–

श्री अनिल कुमार यादव, एड0 प्रार्थीगण अधिवक्ता

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0 आर0 एक्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एल0 आर0 एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम किशोरपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 763 जिसके पुराने खसरा नम्बर 513/1 रकबा 0.33 हैक्टर व खसरा नम्बर 764 जिसके पुराना खसरा नम्बर 513/2 रकबा 0.79 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 753 जिसके पुराने खसरा नम्बर 506/2 रकबा 0.18 हैक्टर वर्तमान में दर्ज खसरा नम्बर 755, 756 एंव 763, 764 जो पुराने खसरा नम्बर 506 व 513 से बने है। पुराने खसरा नम्बर 515 के दक्षिण हिस्सा खसरा नम्बर 513/1 उत्तरी हिस्सा 513/2 से बने हुये है। वर्तमान भू प्रबन्ध से पूर्व बंटवारा हुआ था। उस समय तरमीम सही थी। दूसरे भू प्रबन्ध के समय वर्तमान में नक्शा लट्टा में दर्ज खसरा नम्बर 751, 756 के मध्य सीमा को निरस्त कर (मूल खसरा नम्बर 506 पुराना) खसरा नं. 751/1 व 756 के दक्षिणी पूर्वी कोने में नवीन सीमा का अंकन एंव 756 व 764 के मध्य सीमा को निरस्त कर खसरा नम्बर 764 की दक्षिणी दिशा मे खसरा नम्बर 763 की नवीन सीमा का अंकन किया जाना न्यायोचित है। जिसको वर्तमान नक्शा लट्टा ट्रेस में बरंगलाल स्याही से दर्शाया गया है को शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस बाबत् पूर्व में प्रशासन गांवो के संग अभियान .2021 में भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर व पटवारी हल्का से सही राजस्व नक्शा ट्रेस तरमीम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो न्यायालय के समक्ष धारा 131 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत करके आदेश लाने हेतु कहे जाने पर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

131 एल.आर.एक्ट का पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर एक्ट प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 751, 756 के मध्य सीमा को निरस्त कर (मूल खसरा नम्बर 506 पुराना), खसरा नम्बर 751/1 व 756 के दक्षिणी पूर्वी कोने में नवीन सीमा का अंकन एंव 756 व 764 के मध्य सीमा को निरस्त कर खसरा नम्बर 764 की दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 763 की नवीन सीमा का अंकन संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नक्शा लट्टा ट्रेस में बरंग लाल स्याही से दर्शाया गया है के मुताबिक सही तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार को दिये जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस को सही तरमीम करवाये जाने का निवेदन अपने द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में किया गया हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर 1 की सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से श्री कुमार गौरव खैरवा एड0 उपस्थित आये। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 907/भू0अ0/2023 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का किशोरपुरा व भू.अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर से प्राप्त संयुक्त मय रिपोर्ट को आगामी कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को भिजवाई गई है। उक्त जॉच रिपोर्ट में पटवारी हल्का किशोरपुरा ने अवगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कराया है कि तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश कमांक भू.अ./2001/1703 दिनांक 01.08.2001 की पालना में ग्राम किशोरपुरा में नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 17.08.2001 द्वारा पुराने खसरा नम्बर 506 व 513 का विभाजन हुआ था। द्वितीय भू प्रबन्ध प्रकिया में पुराने भूमि खसरा नम्बर 506 व 513 के विभाजन पश्चात् संधारित खसरा संख्या 506/1 से नया खसरा नम्बर 755, खसरा संख्या 506/2 से नया खसरासंख्या 756, खसरा संख्या 513/1 से नया खसरा संख्या 763 एंव पुराने खसरा संख्या 513/2 से नया खसरा संख्या 764 बने है। द्वितीय भू प्रबन्ध प्रकिया में नक्शा लट्‌टा में संधारित ...न खसरा नम्बर 755, 756, 763, 764 मुताबिक विभाजन आदेश एंव मौका अनुसार तरमीम नहीं है जिसे उपर नजरी नक्शा में दर्शाया जाकर मुताबिक विभाजन आदेश एंव मौका के तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन अपनी रिपोर्ट में किया है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह खर्रा ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित कर हस्ताक्षर किये है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व वकील अप्रार्थीगण द्वारा अनापत्ति पेश कर दिये जाने से वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 131 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील प्रार्थी की [illegible] सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अभिभाषक [illegible] किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अं[illegible] चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नजरी नक्शा ट्रेस पुराने व नये, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 513, 572, 931, 940, 39, 278, 307, 505, बंटवारानामा दिनांकित 23.06.2001 व इसके संलग्न नजरी नक्शा की फोटोप्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का किशोरपुरा की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2001 व दिनांक 19.05.2023 एंव अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनमें पटवारी हल्का किशोरपुरा की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम किशोरपुरा के पुराने भूमि खसरा नम्बर 506 व 513 के विभाजन पश्चात् संधारित खसरा संख्या 506/1 से नया खसरा नम्बर 755, खसरा संख्या 506/2 से नया खसरा संख्या 756, खसरा संख्या 513/1 से नया खसरा संख्या 763 एंव पुराने खसरा संख्या 513/2 से नया खसरा संख्या 764 बनना पाया जाता है। द्वितीय भू प्रबन्ध प्रकिया में नक्शा लट्‌टा में संधारित नवीन खसरा नम्बर 755, 756, 763, 764 मुताबिक विभाजन आदेश तहसीलदार नीमकाथाना एंव मौका अनुसार तरमीम सही नहीं होना प्रकट होता है। जिसे उपरू नजरी नक्शा में सही दर्शाया जाकर मुताबिक विभाजन आदेश एंव मौका के तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। पटवारी हल्का किशोरपुरा व भू.अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर की संयुक्त मौका जॉच रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होना प्रकट होता है। अतः इस स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा चाही [illegible] लट्‌टा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एल0 आर0 एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 751, 756 के मध्य सीमा को निरस्त कर (मूल खसरा नम्बर 506 पुराना), खसरा नम्बर 751/1 व 756 के दक्षिणी पूर्वी कोने में नवीन सीमा का अंकन एंव 756 व 764 के मध्य सीमा को निरस्त कर खसरा नम्बर 764 की दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 763 की नवीन सीमा का अंकन (जो संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट व नक्शा लट्टा ट्रेस में बरंग लाल स्याही से दर्शाया गया है) के मुताबिक सही तरमीम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested